



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 95

13 फाल्गुन, 1924 शकाब्द
राँची, मंगलवार 4 मार्च, 2003

विधि (विधान) विभाग ।

अधिसूचना

4 मार्च, 2003

संख्या-एल०जी०-9/2002-03/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 26 फरवरी, 2003 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002
झारखण्ड राज्य में एक अधिविद्य परिषद् की स्थापना हेतु अधिनियम ।
[झारखण्ड अधिनियम 02, 2003]

जहाँ यह इष्टकर है कि झारखण्ड राज्य में इंटरमीडिएट शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा की समाप्ति के स्तर पर परीक्षाओं का संचालन एवं इन परीक्षाओं के निमित्त पाठ्यक्रमों का निर्धारण, इंटरमीडिएट शैक्षणिक संस्थानों, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों की प्रस्त्रीकृति हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा भेजना एवं इन उद्देश्यों से संबंधित अन्य विषयों अथवा कर्तव्यों के निर्वहन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की स्थापना की जाए ।

एतद् द्वारा यह अधिनियम भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -

(1) यह अधिनियम झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा ।
 (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
 (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाये - जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो इस अधिनियम में

(क) "प्रशासक" से अभिप्रेत है परिषद् का प्रशासक, जब परिषद् उक्तमित हो या गठित न हो ।
 (ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है परिषद् का अध्यक्ष ।
 (ग) "परिषद्" से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन स्थापित झारखण्ड अधिविद्य परिषद् ।
 (घ) "परीक्षा निधि" से अभिप्रेत है धारा-17 के अधीन स्थापित झारखण्ड अधिविद्य परिषद् निधि ।
 (ड.) "उच्च विद्यालय" से अभिप्रेत है माध्यमिक शिक्षा प्रदान करनेवाला प्रस्त्रीकृत विद्यालय ।
 (च) "इंटरमीडिएट शिक्षा" से अभिप्रेत है इंटरमीडिएट पाद्यक्रम के अनुरूप +2 स्तर की प्रदत्त शिक्षा और जिसमें (+2) या 10 वीं स्तर के बाद या डिग्री (त्रिवर्षीय) स्तर के पूर्व की द्विवर्षीय शिक्षा शामिल है ।
 (छ) "मदरसा" से अभिप्रेत है वैसा संस्थान जहाँ अरबी, फारसी एवं इस्लाम के अध्ययन की व्यवस्था है ।
 (ज) "निर्धारित" से अभिप्रेत है धारा-26 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा निर्मित नियमावली एवं धारा-27 के अधीन परिषद् द्वारा निर्मित विनियम के द्वारा निर्धारित ।
 (झ) "विनियम" से अभिप्रेत है धारा-27 के अधीन परिषद् के द्वारा निर्मित विनियम ।
 (अ) "नियमावली" से अभिप्रेत है धारा-26 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमावली ।
 (ट) "संस्कृत विद्यालय" से अभिप्रेत है प्रस्त्रीकृत संस्था जहाँ मध्यमा स्तर (प्रारंभिक या आधुनिक) तक संस्कृत में शिक्षा प्रदान किया जाता है ।
 (ठ) "सचिव" से अभिप्रेत है परिषद् का सचिव ।

अध्याय-2

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्

3. परिषद् की स्थापना एवं निगमन

(1) राज्य सरकार के द्वारा एक परिषद् स्थापित किया जायेगा जो झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के नाम से जाना जायेगा, जो एक निगमित निकाय होगा और उसे शास्त्र उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से वह बाद चला सकेगी तथा उस पर बाद चलाया जा सकेगा । यह एक स्वशासी संस्था होगी ।

(2) परिषद् को चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारित करने तथा इस अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमावली के अधीन संपत्ति के स्थानान्तरित करने, संविदा करने और इन प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी अन्य कार्य करने की शक्ति होगी ।

4. परिषद का गठन

(1) परिषद के निम्नांकित सदस्य होंगे

- (क) अध्यक्ष
- (ख) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, पदेन
- (ग) राज्य सरकार द्वारा मनोनित झारखण्ड राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि, परन्तु यह कि अगर दो से ज्यादा विश्वविद्यालय हों तक राज्य सरकार दो विश्व-विद्यालयों से एक-एक प्रतिनिधि नियमावली के द्वारा निर्धारित चक्रानुक्रम में मनोनीत करेगी,
- (घ) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संस्कृत के एक विद्वान, जिन्हें कम से कम 15 वर्षों को शिक्षण या प्रशासनिक अनुभव हो,
- (ड.) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अरबी, फारसी या उर्दू के विद्वान जिन्हें कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण या प्रशासनिक अनुभव हो,
- (च) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 10+2 संस्था के विद्वान प्राचार्य, जिन्हें कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो,

(2) (क) राज्य सरकार परीक्षा प्रणाली के विशेषज्ञ अधिकतम तीन व्यक्तियों परिषद के सदस्य के रूप में उप धारा-(4) में निर्धारित अवधि के लिए मनोनीत करेगी।

(ख) राज्य सरकार एक चार्टर्ड एकाउटेन्ट को तीन वर्षों की अवधि के लिए मनोनीत करेगी।

(3) उप धारा-(2) के उपबंधों के अधीन अध्यक्ष एवं पदेन सदस्य के अलावे अन्य सदस्यों की पदावधि राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त शासकीय अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगी।

(4) एक व्यक्ति जो अध्यक्ष या सदस्य का पदधारक है अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् तीन वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त हेतु अधिकतम दो पदावधियों के लिए अर्हित होगा।

5. परिषद में रिक्ति के कारण अधिनियम या कार्यवाही का अमान्य नहीं होना।

किसी अधिनियम या परिषद या परिषद की किसी समिति का कार्यवाही पर मात्र इस आधार पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जायेगा कि परिषद में रिक्ति या परिषद या समिति के गठन में त्रुटि है।

6. कार्य का संचालन

परिषद या इस अधिनियम के अन्तर्गत परिषद द्वारा गठित समिति की बैठकों का संचालन परिषद के विनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

7. परिषद का कृत्य एवं शक्तियाँ

(1) परिषद

- (i) निम्नलिखित परीक्षायें संचालित करेगी
 - (क) इंटरमीडिएट या 10+2 परीक्षा
 - (ख) माध्यमिक परीक्षा
 - (ग) माध्यमा परीक्षा (संस्कृत परीक्षा)
 - (घ) मदरसा परीक्षा, एवं
 - (ड.) कोई अन्य परीक्षायें जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जायेगी।
- (ii) पूर्ववर्ती उपखंडों में अंकित परीक्षाओं में सम्मिलित होनेवाले छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु तंत्र एवं प्रणाली के उन्नयन के प्रयोजनार्थ उपायों एवं तरीकों का निर्माण करेगी।

(2) परिषद विशेषतः एवं पूर्व उल्लिखित शक्तियों के सामान्य सिद्धान्त के प्रति बिना पूर्वाग्रह के निम्नलिखित कार्य संपादित करेगी -

(क) विभिन्न विषयों के लिए गठित पाठ्यक्रम समितियों के विमर्शानुसार परीक्षा के लिए प्रश्न चयनकर्ताओं, मर्यादिकों, परीक्षकों, अंक नियोजकों, पर्यवेक्षकों एवं वीक्षकों की नियुक्ति करना,

(ख) मनन, मर्यादन, गणना एवं परीक्षाफल का प्रकाशन तथा तत्संबंधी, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र, पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना,

(ग) परिषद् के द्वारा अध्यर्थियों को परीक्षा में सम्प्रीति होने हेतु अनुमति देना एवं समुचित तथ्यों के आधार पर अयोग्य घोषित करना,

(घ) परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क की मांग तैयार एवं प्राप्त करना,

(ड.) परीक्षाओं के लिए केन्द्र निर्धारित करना,

(च) अध्यर्थियों की उपलब्धता के मूल्यांकन हेतु उन्नत विधि विकसित करना एवं समय-समय पर नयी विधि हेतु प्रयोग करना,

(छ) दुराचरण एवं अवज्ञा के कारण विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं संस्था के प्रधानों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई करना,

(ज) शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा एवं व्यवसायिक स्तर को बनाये रखने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण की व्यवस्था करेगी एवं राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रेषित करना,

(झ) इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावलियों के अन्तर्गत उच्च विद्यालयों, इंटरमीडिएट शिक्षा संस्थानों, मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों की प्रस्वीकृति एवं उसकी वापसी, निरसन या प्रस्वीकृति का निलंबन हेतु राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा भेजना,

(अ) राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य परीक्षाओं का संचालन एवं अन्य कर्तव्यों का संपादन करना,

8. पाठ्यक्रम समिति

(1) परिषद् प्रत्येक विषय समूह या विषय के लिए पाठ्यक्रम समितियाँ गठित करेगी,

(2) राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु परिषद् द्वारा निम्नलिखित विषयों पर अनुशंसा की जायेगी-

(क) परियोजना एवं पाठ्यक्रम,

(ख) स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्यपुस्तक का निर्माण,

(ग) शिक्षण पद्धति में सुधार एवं अत्याधुनिक तकनीकियों के संबंध में सुझाव, और

(घ) इस अधिनियम के प्रयोजन के अनुरूप समय-समय पर अधिरोपित अन्य कार्य ।

9. परिषद् के कार्यकलापों की जाँच

(1) राज्य सरकार विशेष सचिव के स्तर से अन्यून एक पदाधिकारी को निम्नलिखित मामले का निरीक्षण, जाँच एवं निष्कर्ष प्रतिवेदन करने हेतु प्रतिनियुक्त कर सकेगी ।

(क) परिषद् का कार्य कलाप,

(ख) परिषद् के किसी प्रशाखा का कार्य कलाप,

(ग) वित्तीय मामले,

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों एवं इसके अधीन निर्मित नियमावलियों के अनुपालन में किसी प्रकार की भिन्नता या विचलन, और

(ड.) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अन्य मामले ।

(2) प्रतिनियुक्त निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण या जाँच के प्रयोजनार्थ माँगा गया कोई अभिलेख, पत्राचार, प्रतिवेदन, विवरणी, लेखा या सांख्यिकी परिषद् उपलब्ध करायेगा । परन्तु यह कि ऐसा अभिलेख या कागजात जाँच या निरीक्षण हेतु नहीं माँगा जायेगा जो परिषद् की दृष्टि में परीक्षा की गोपनीयता के लिए हानिकारक हो ।

(3) राज्य सरकार प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा पर विचारोपरान्त समुचित निर्देश परिषद् को देगी और परिषद् उसका अनुपालन करेगा ।

(4) तथापि उप धारा-1(1) एवं (3) में अंकित तथ्यों के बाद भी राज्य सरकार समय-समय पर समुचित सामान्य या विशेष निर्देश परिषद् को दे सकता है और परिषद् उस निर्देश का अनुपालन करेगी ।

10. परिषद् के पदाधिकारीगण

परिषद् के नियुक्ति पदाधिकारी होंगे, यथा

- (i) अध्यक्ष
- (ii) सचिव

(iii) इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावलियों एवं विनियमों के द्वारा घोषित सभी पदाधिकारी परिषद् के पदाधिकारी होंगे ।

11. अध्यक्ष की नियुक्ति एवं निष्कासन

- (1) राज्य सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, जो परिषद् का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा ।
- (2) अध्यक्ष का वेतन, भत्ता एवं अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जायेगी ।
- (3) राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अध्यक्ष को हटा सकती है अगर वह कार्य करने से इन्कार करता हो या कार्य करने में अक्षम हो या यदि वह इस तरह कार्य करता है जो राज्य सरकार यह समझती है कि वह कार्य परिषद् के हित के प्रतिकूल है ।

12. अध्यक्ष के कार्यालय में रिक्ति

- (1) अवकाश, बीमारी या कोई अन्य कारण से अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति या अध्यक्ष के पद रिक्ति के मामले में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अध्यक्ष का पदभार संभालेगा ।

13. अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

- (1) यह मुनिश्चित करना अध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमावली या विनियम के उपबंधों का यथावत पालन होता है एवं इस प्रयोजनार्थ उसे सभी आवश्यक शक्तियाँ होंगी ।
- (2) अध्यक्ष को परिषद् की बैठक बुलाने की शक्ति होगी ।
- (3) वह गोपनीय प्रकृति के कार्य का सभी ठेका यथा, प्रश्नपत्र और, या प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका का मुद्रण एवं गंतव्य स्थानों तक आपूर्ति की स्वीकृति देगा । वह गोपनीय मुद्रक के विषय में गोपनीयता बरतने को ध्यान में रखते हुए वह सभी प्रकार का गोपनीय एकररनामा हस्ताक्षर करेगा तथा उससे संबंधित भुगतान करेगा ।
- (4) परिषद् के प्रशासनिक कार्यकलाप के कारण उत्पन्न आपात स्थिति में अध्यक्ष अगर ऐसा समझता है कि कोई कार्रवाई तत्काल आवश्यक है तब वह तत्काल कार्रवाई करेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद परिषद् की आगामी बैठक में प्रतिवेदित करेगा ।
- (5) अध्यक्ष उन सभी शक्तियों का उपयोग करेगा जो इस अधिनियम के अधीन नियमों के द्वारा निर्धारित है ।

14. सचिव की नियुक्ति एवं निष्कासन

- (1) राज्य सरकार नियमावली के द्वारा निर्धारित समझौता एवं शर्तों पर समुचित योग्यता धारण करने वाला पदाधिकारी को परिषद् का पूर्णकालिक सचिव के रूप में नियुक्ति करेगा ।
- (2) राज्य सरकार सचिव को किसी भी समय पद से हटा सकेगा, अगर वह कार्य करने से इंकार करे या कार्य करने में असमर्थ हो या इस प्रकार का कार्य करे जो राज्य सरकार की दृष्टि में परिषद् के हित के प्रतिकूल हो ।

15. सचिव का कृत्य एवं शक्तियाँ

- (1) परिषद् के नियंत्रण के अधीन सचिव परिषद् का प्रशासनिक पदाधिकारी होगा और वह वार्षिक प्राक्कलन और लेखा विवरणी प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होगा,

- (2) परिषद् के आय व्ययक के उपबंधों के अनुरूप राशि के व्यय हेतु उत्तरदायी होगा,
- (3) परिषद् की बैठक की कार्यवाही रखने के लिए उत्तरदायी होगा,
- (4) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को परिषद् की ओर से प्रमाण-पत्र एवं आवश्यकतानुसार दूसरे प्रमाण-पत्र भी निर्मित करेगा,
- (5) इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावलियों एवं विनियमों के द्वारा निर्धारित अन्य शक्तियों का भी उपयोग करेगा,
- (6) वह परिषद् की बैठक बुलाने एवं उसमें उपस्थित होने के लिए अधिकृत होगा । लेकिन वह मत देने के लिए अधिकृत नहीं होगा ।

16. परिषद् के अवक्रमण की शक्ति

- (1) राज्य सरकार के विचार में आगर परिषद् अधिनियम के अधीन या द्वारा निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षम है या अपने कार्यकलाप में लगातार असफल हो रहा है या राज्य सरकार द्वारा धारा-9 की उप धारा-(4) के अन्तर्गत निर्मित आदेशों का अनुपालन नहीं किया है या अपनी शक्ति के बाहर जाकर कार्य किया है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तब राज्य सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा उसमें अंकित अवधि के लिए परिषद् को अवक्रमित कर सकेगी ।
- (2) उप धारा-(1) के अधीन परिषद् के अवक्रमण से संबंधित अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात्
 - (क) परिषद् के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य अवक्रमण की तिथि के प्रभाव से अपना पद रिक्त कर देंगे ।
 - (ख) परिषद् के द्वारा या और से इस अधिनियम के अधीन संपादित किये जाने वाले सभी कर्तव्यों एवं उपयोग की जाने वाली सभी शक्तियाँ परिषद् के अवक्रमण की अवधि में राज्य सरकार द्वारा विधिवत् नियुक्त प्रशासक के द्वारा संपादित या उपयोग की जायगी ।
 - (ग) अवक्रमण की अवधि में परिषद् में निहित सारी सम्पत्तियाँ राज्य सरकार में निहित होगी ।
- (3) उप धारा-(1) के अन्तर्गत निर्मित अधिसूचना में अंकित अवक्रमण अवधि की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार
 - (क) अवक्रमण अवधि उस समय तक बढ़ा सकती है जो वह उचित समझे किन्तु यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी,
 - (ख) धारा-4 के अन्तर्गत परिषद् का पुनर्गठन कर सकती है,
- (4) जब धारा-4 के अन्तर्गत परिषद् का गठन नहीं किया हो, तब राज्य सरकार प्रशासक की नियुक्ति करेगी ।

अध्याय-3

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् निधि

17. परीक्षा निधि

- (1) झारखण्ड अधिविद्य निधि नाम की एक निधि स्थापित की जायेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं उसके उपबंधों के अन्तर्गत परिषद् में निहित होगी ।
- (2) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् निधि के खाता में निम्नलिखित राशि जमा की जायगी ।
 - (क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्मित नियमावलियों एवं विनियमों के अन्तर्गत परिषद् के द्वारा या और से प्राप्त सभी देय शुल्क एवं कर की राशि ।
 - (ख) इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावलियों विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु परिषद् के द्वारा उधार ली गयी राशि ।
 - (ग) परिषद् द्वारा प्राप्त सभी अन्य प्राप्तियाँ जो पूर्ववर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित नहीं हैं ।

(3) उपधारा-(2) के अन्तर्गत प्राप्त सभी राशियाँ किसी राष्ट्रीयकृत अनुसूचित भारतीय बैंक में संधारित झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के खाता में जमा की जायगी ।

18. परीक्षा निधि का उपयोग

(1) परीक्षा निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जायेगा ।

(क) इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावलियों एवं विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए परिषद् के द्वारा लिये गये ऋण का भुगतान,

(ख) परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन, भत्ता एवं मानदेय का भुगतान,

(ग) परिषद् एवं विभिन्न समितियों के सदस्यों का यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्तों का भुगतान,

(घ) जिला प्रशासन को स्वतंत्र, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा के संचालन हेतु भुगतान,

(ड.) परीक्षा संचालन कार्य में लगे चुनिन्दा पदाधिकारियों को मानदेय भुगतान,

(च) परीक्षा से संबंधित कार्यों पर हुए व्यय एवं इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावलियों एवं विनियमों के द्वारा परिषद् को अधिरोपित कर्तव्यों के संपादन पर हुए व्यय का भुगतान,

(छ) परीक्षा निधि के अंकेक्षण व्यय का भुगतान ।

(ज) किसी बाद या याचना जिसमें परिषद् और, या परिषद् के पदाधिकारीगण पक्षकार है, पर हुए व्यय का भुगतान,

(झ) परिषद् के भवनों के मरम्मत एवं रख रखाव पर हुए व्यय का भुगतान,

(ञ) कार्यालय व्यय एवं कार्यालय भवन के किराया पर हुए व्यय का भुगतान,

(ट) अन्य व्ययों, जो पूर्ववर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित नहीं है, का भुगतान,

19. परिषद् के लेखा का अंकेक्षण

परिषद् के लेखा का अंकेक्षण बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1925 (बी० एण्ड ओ० अधिनियम 11, 1925) के अन्तर्गत की जायगी और इसके प्रयोजनार्थ परिषद् एक स्थानीय प्राधिकार होगा, जिसका लेखा राज्य सरकार के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन अंकेक्षनीय घोषित किया गया होगा । परीक्षा निधि एक स्थानीय निधि होगी ।

परन्तु परीक्षा कार्य से संबंधित गोपनीय कार्यों यथा प्रश्न पत्रों का चयन, प्रश्न पत्रों का मर्यादिन, प्रश्न पत्रों या प्रश्न सह उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण, आपूर्ति तथा परीक्षाफल तैयार करना आदि पर हुए व्यय का अंकेक्षण गोपनीय मुद्रकों के विषय में जानकारी को गुप्त रखने हेतु नहीं किया जाएगा ।

अध्याय - 4

परीक्षाएं

20. परीक्षाओं का लक्ष्य एवं उद्देश्य

परिषद् के द्वारा संचालित परीक्षाओं का लक्ष्य, भारतीय संघ के उपयोगी नागरिक के रूप में अध्यर्थियों का प्रशिक्षण, विभिन्न व्यवसायों एवं सेवाओं में चयन हेतु उनकी योग्यताएँ एवं तैयारियों एवं विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्ति हेतु उनकी उपयुक्तता की जाँच करना होगा । परीक्षा का उद्देश्य माध्यमिक, इंटरमीडिएट, मदरसा एवं मध्यमा स्तर की शिक्षा सत्र की समाप्ति के पश्चात् विद्यार्थियों की उपलब्धता का मूल्यांकन करना होगा ।

21. इन्टरमीडिएट या 10+2 परीक्षा

परिषद् के साथ पंजीकृत छात्र को निर्धारित शुल्क भुगतान करने के आधार पर इंटरमीडिएट या 10+2 की अंतिम परीक्षा में उसी संकाय एवं विषय में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए वह पंजीकृत है एवं जिसके लिए वह परीक्षा में शामिल होने के योग्य घोषित किया गया है ।

22. **माध्यमिक परीक्षा**
माध्यमिक परीक्षा परिषद् के द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में सभी अध्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि वे माध्यमिक स्तर के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप उच्च विद्यालयों में अध्ययन किये होंगे तथा परिषद् के साथ पंजीकृत होंगे।

23. **संस्कृत परीक्षा**
परिषद् के साथ पंजीकृत विद्यार्थी को मध्यमा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है अगर वह संस्कृत विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा किया होगा।

24. **मदरसा परीक्षा**
परिषद् उन्हीं छात्रों के लिए परीक्षा संचालित करेगी जो परिषद् के साथ पंजीकृत होंगे एवं मदरसा में पढ़ाया जानेवाला पाठ्यक्रम पूरा किये होंगे।

अध्याय-5 सेवा परिनियम

25. **सामान्य सेवा शर्तें**
परिषद् के कर्मचारियों की सेवा शर्तें इस अधिनियम के अधीन बनायी जाने वाली विनियमों के द्वारा निर्धारित की जायगी, जो इस अधिनियम लोगू होने के एक वर्ष के अन्दर निरूपित किए जाएंगे।

अध्याय-6 विविधा

26. **राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति**
(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों एवं उद्देश्यों को लागू करने हेतु पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना के माध्यम से नियमावली बना सकती है।
(2) राज्य सरकार विशेषतः एवं पूर्व उल्लिखित शक्तियों के सामान्य सिद्धान्त के प्रति बिना पूर्वाग्रह के निम्नलिखित के लिए नियमावली बना सकती है :
(क) धारा-13 अन्तर्गत उप धारा-(5) में निर्धारित अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में,
(ख) परिषद् के सचिव की योग्यताएँ एवं नियुक्ति संबंधी समझौता एवं शर्तों का निर्धारण,
(ग) शैक्षणिक एवं व्यवसायिक परीक्षाओं के स्तर का निर्धारण,
(घ) पाठ्य पुस्तक तैयार करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी को पाठ्य पुस्तक तैयार करने व लिए दिये जाने वाले निर्देशों का निर्धारण,
(ड.) परिषद् के द्वारा संचालित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं तथा धारा-7 में अंकित कर्तव्य के अलावे अन्य सम्पन्न किये जाने वाले कर्तव्यों का निर्धारण,
(च) धारा-10 के कंडिका (III) के अन्तर्गत पदाधिकारियों को परिषद् का पदाधिकारी घोषि करना,
(छ) अगर इस अधिनियम में किसी विषय में स्पष्ट उपबंध नहीं है या अपर्याप्त उपबंध में तब इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी बनाने हेतु अन्य विषयों के संबंध में

27. **परिषद् को विनियम बनाने के शक्ति**
इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियमावलियों के अनुरूप परिषद् पूर्व प्रकाशन एवं राज्य सरकार की संपुष्टि के पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर विनियम बना सकती है, यथा -
(क) परिषद् एवं इस अधिनियम के अधीन गठित समितियों की बैठकों के संचालन को निर्यात करने हेतु अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया,

- (ख) शर्तें जिसके अधीन छात्रों को परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी,
- (ग) परिषद् की परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए लिया जाने वाला शुल्क,
- (घ) परीक्षकों की नियुक्ति एवं कर्तव्यों की शर्तें एवं पद्धतियाँ तथा परीक्षाओं का संचालन,
- (ड.) धारा-15 की उप धारा-(5) के अन्तर्गत सचिव के द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्तियाँ,
- (ब्य) परिषद् के कर्मचारियों के लिए सेवा संहिता एवं आचरण नियमावलियाँ, एवं
- (छ) इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमावलियों के सभी विषयों जो विनियमों के द्वारा उप बंधित होने वाला है या उपबंधित हो सकता है।

28. न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्जन

- (1) परिषद् या इसके पदाधिकारियों या इस अधिनियम के अधीन गठित समितियों के द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत या आपत्ति पर कार्रवाई करना किसी न्यायालय या प्राधिकार या फोरम के क्षेत्राधिकार में नहीं होगा तथा परिषद् या इसके पदाधिकारियों या इसकी समितियों के द्वारा की गयी कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई पर किसी न्यायालय या प्राधिकार या फोरम के द्वारा निषेधाज्ञा लागू नहीं किया जाएगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन परिषद् के अधिकारियों के द्वारा सद्भावना से किये गये और किये जाने वाले किसी कार्य के विरुद्ध किसी प्रकार का अभियोग, बाद या अन्य कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी।

29. व्यावृति

इस अधिनियम के समुचित उपबंधों के अधीन जब तक राज्य सुरक्षार नियमावली एवं विनियम बनाती है, जिसकी अवधि अधिकतम एक वर्ष होगी तब तक बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम 26, 1992), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (बिहार अधिनियम, 7, 1952) (झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 के रूप में अंगीकृत), बिहार संस्कृत शिक्षा समिति अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम, 31, 1982) एवं बिहार मदरसा शिक्षा समिति अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम, 32, 1982) के अधीन निर्मित नियमावली, एवं विनियम, जो इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पूर्व लागू था, स्वतः समाप्त होते हुए भी सक्षम प्राधिकार के द्वारा संशोधित एवं अंगीकृत होने के उपरान्त लागू समझा जायगा और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली एवं विनियम माना जायगा।

30. निरसन और व्यावृति

- (1) बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम, 26, 1992) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम, 7, 1952) (झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 के रूप में अंगीकृत), बिहार संस्कृत शिक्षा समिति अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम, 31, 1982) और बिहार मदरसा शिक्षा समिति अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम, 32, 1982) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (2) इस प्रकार निरसन उपरान्त भी उक्त अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियम के अधीन किया गया या द्वारा की गयी मानी जाएगी जैसे कि यह अधिनियम उस दिन लागू था जिस दिन वह कार्य किया गया था या कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

अधिसूचना

4 मार्च, 2003

संख्या-एल०जी०-९/२००२-०४/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2003 को अनुमत झारखण्ड अधिविद परिषद अधिनियम, 2002 [झारखण्ड अधिनियम 02, 2003] का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राथिकृत पाठ समझा जायगा :-

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL ACT, 2002
AN
ACT
TO ESTABLISH AN ACADEMIC COUNCIL IN THE
STATE OF JHARKHAND

Whereas it is expedient to establish an Academic Council in the State of Jharkhand for holding and conducting examinations at the end of Intermediate education, Secondary education, Sanskrit education and madaras education stage and for prescribing courses of studies for such examinations and for recommending for recognition of Intermediate Educational Institution, High Schools, Sanskrit Schools and Madarsa to the State Government and generally for craying out such other subjects or duties as may be considered necessary for purpose hereinafter appearing.

It is hereby enacted in the Fifty Third Year of the Republic of India as follows-

CHAPTER - 1
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement -

1. This act may be called Jharkhand Academic Council Act, 2001
2. It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
3. It shall come into force at once.

2. Definitions-- In this act unless there is any thing repugnant in the subject or context,-

- (a) "Administrator" means the Administrator of the Council, when the Council is superseded or not constituted.
- (b) "Chairman" means the Chairman of the Council.
- (c) "Council" means the Jharkhand Academic Council, established under section-3.
- (d) "Examination Fund" means the Jharkhand Academic Council Fund established under section-17;
- (e) "High School" means a recognised school imparting instructions in Secondary Education.
- (f) "Intermediate Education" means education of (+2) standard imparted according to Intermediate syllabus and it includes (+2) or the post 10th standard or the pre degree (three years) standard education of two years duration.
- (g) "Madarsa" means an institution where there is arrangement for the study of Arabic, Persian and Islamic;
- (h) "Prescribed" means prescribed by rules made by the State Government under section-26 and for regulations made by the Council under section-27;
- (i) "Regulation" means a regulation made by the Council under section-27;
- (j) "Rules" means a rule made by the State Government under section-26

(k) "Sanskrit Vidyalaya" means a recognised institution which imparts instructions in Sanskrit up to the Madhyama standard (of traditional or modern type)

(l) "Secretary" means the Secretary to the Council.

CHAPTER - 2

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL

3. Establishment and incorporation of Council

(1) There shall be established, by the State Government, a Council known by the name of the Jharkhand Academic Council, which shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal and shall by that name sue and be sued. It will be an autonomous body.

(2) The Council shall have power to acquire and hold property, both movable and immovable and subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder to transfer any property held by it and to contract and to do all other things necessary for the purpose of this Act.

4. Constitution of the Council

(1) The council shall consist of

- (a) The Chairman,
- (b) The Director, Secondary Education, Jharkhand, ex-officio;
- (c) One representative from each of the Universities in Jharkhand established by law, to be nominated by the State Government;
Provided that if there are more than two such Universities the State Government shall nominate one representative from each of two such Universities in such rotation as may be prescribed by rule;
- (d) One scholar of Sanskrit, possessing at least fifteen years of teaching, or administrative experience to be nominated by State Government,
- (e) One scholar of Arabic, Persian or Urdu possessing at least fifteen years of teaching or administrative experience to be nominated by State Government;
- (f) One Scholar Principal of 10+2 institution to be nominated by the State Government having at least five years experience,

(2) (a) The State Government shall nominate for such period not exceeding the term specified in subsection (4) as it may think fit, not more than three persons to be members of the Council that they, in the opinion of the State Government, possess expert knowledge of examination system.

(b) The State Government shall nominate one Chartered Accountant for a period of three years.

(3) Subject to the provision of sub-section (2), the term of office of the Chairman and the members other than the ex-officio member, shall be for a period of three years at the pleasure of the Government from the date of the official notification.

(4) A person who holds office as Chairman or Member shall, on the expiration of his term of office, shall be eligible for reappointment to that office for next three years, subject to maximum of two terms of office.

5. Vacancies in the Council not to invalidate acts or proceedings

No act or proceedings of the Council or of any committee of the Council shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Council or committee as the case may be.

6. Conduct of Business

The Council shall by regulation, prescribed the procedure to be followed in regulating the conduct of business at meetings of the Council and of any committee constituted by the Council under this Act.

7. Functions and Power of the Council

- (1) The Council shall
 - (i) conduct following examinations
 - (a) Intermediate or 10+2 examination
 - (b) Secondary examination
 - (c) Madhyama examination (Sanskrit Examination)
 - (d) Madarsa examination, and
 - (e) any other examination as assigned by the State Government from time to time.
 - (ii) generally formulate ways and means for the purposes of improving the machinery and system for the assessment of the attainments of students appearing in the examination as described in the preceding sub-section.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Council shall
 - (a) in consultation with the committees of courses for different subjects, prepare lists of persons suitable for appointment as paper setters, moderators, examiners, tabulators, supervisors and invigilators for examinations, and make such appointment;
 - (b) consider, moderate, determine and publish the results of examinations and award diplomas, certificates, prizes and scholarships in respect thereof;
 - (c) admit candidates to its examinations and may disqualify any candidate for appearing in such examinations for any reason which the Council considers fit;
 - (d) demand and receive such fees as may be prescribed by the Council from time to time;
 - (e) fix centres for such examinations;
 - (f) evolve improved methods of assessment of the attainments of candidates and carry out experiments in such method time to time;
 - (g) take such disciplinary action as it thinks fit against students, teachers and head of the institutions for reasons of misconduct and disobedience.
 - (h) arrange regular inspection of educational institutions with a view to ascertain that the prescribed academic and vocational standards are being maintained and report to the state Government for taking appropriate action;
 - (i) recommend to the State Government or to other appropriate authorities for recognition as well as withdrawal, cancellation or suspension of recognition of any High School, Intermediate Education Institution, Madarsa and Sanskrit High School as per rule framed under this Act.
 - (j) conduct such other examinations and perform such other duties as assigned by the State Government.

8. Committee of courses

- (1) There shall be committee of courses constituted by the Council for each group of subjects or for each subject.
- (2) The committee shall give its recommendations to the Council for the approval of the State Government on the following subjects.
 - (a) scheme and courses of study.
 - (b) preparations of text books in accordance with the approved courses of study.
 - (c) improvement in methods of teaching and suggest latest technique; and
 - (d) other functions consistent with the purposes of this act as may from time to time be entrusted to it.

9. Enquiry into the working of Council

- (1) The State Government could depute an officer not below the rank of Special Secretary to the Government to inspect, examine and report the findings on any of the following matters :-
 - (i) the functioning of the Council,

- (ii) the functioning of any wing of the Council,
- (iii) the financial matters,
- (iv) any departure and, or deviation in carrying out the provisions of the Act and rules framed therein, and
- (v) such other matter as may be referred by the State Government.

(2) The council shall produce any record, correspondence, report, statement, account or statistics for the purpose of such inspections or examination as required by authorised inspecting officer so deputed for this purpose. Provided that such records or documents shall not be asked for such examination or inspections which the Council may think be detrimental to the confidentiality of the examination.

(3) The State Government, shall, after considering the report and recommendation, if any, issue such directions to the Council as it may think fit and the Council shall comply with the directions.

(4) Notwithstanding any thing contained in sub-sections(1) & (3) the State Government, may from time to time issue such general or special directions to the Council as it think fit and Council shall comply with such directions.

10. Officers of the Council

The following shall be officers of the Council, namely,

- (i) The Chairman
- (ii) The Secretary
- (iii) such other officers as may be prescribed by the rules and regulations made under this act to be officers of the Council.

11. Appointment of the Chairman and his removal

- (1) The State Government, shall appoint the Chairman, who shall be a whole time officer of the Council.
- (2) The pay, allowances and other conditions of service of the Chairman shall be such as may be determined by the State Government.
- (3) The State Government may by notification remove the Chairman if he refuses to act or is unable to act or if he acts in a manner which the State Government considers it prejudicial to the interest of the Council.

12. Vacancy in the office of Chairman

- (1) During the temporary absence of the Chairman by reason of leave, illness or any other cause or in case of vacancies in the office of Chairman, any other person appointed by the State Government, shall carry on the office of the Chairman.

13. Powers and duties of Chairman

- (1) It shall be the duty of the Chairman to see that this Act and the rules and regulations made thereunder are faithfully observed and he shall have all powers necessary for these purposes.
- (2) The Chairman shall have power to convene meetings of the council.
- (3) He shall sanction all contracts of works of confidential natures viz. printing of question paper and, or question cum answer booklets including delivery to its destination. He shall sign only the confidential agreement for maintaining secrecy about the details of confidential printers and make payment thereof.
- (4) In any emergency arising out of the administrative business of the Council, which, in the opinion of the Chairman, requires immediate action should be taken, the Chairman shall take such immediate action as he deems necessary, and shall thereafter report the action taken by him to the Council at its next meeting.
- (5) The Chairman shall exercise such other powers as may be prescribed by the rules made under this act.

14. Appointment of Secretary and his removal

- (1) The State Government shall appoint one of the officers possessing such qualifications on such terms and conditions and for such period as may be prescribed in the rules to be the whole-time Secretary of the Council.
- (2) The State Government may remove the Secretary, at any time, if he refuses to act or is unable to act or acts in a manner which the state Government considers prejudicial to the interest of the Council.

15. Powers and duties of the Secretary

- (1) The Secretary shall subject to the control of the Council, be the Administrative Officer of the Council and shall be responsible for the presentation of the annual estimates and statements of accounts.
- (2) Be responsible for seeing that all moneys are spent as provided in the budget of the Council.
- (3) Be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Council.
- (4) Issue certificates in the prescribed form on behalf of the Council to successful candidates of having passed examination conducted by the Council and other forms of certification, whenever necessary.
- (5) Exercise such other powers as may be prescribed in rules and regulation made under this Act.
- (6) He shall be entitled to be present and to speak at any meeting of the Council, but shall not be entitled to vote there at.

16. Power of supersede the Council

- (1) If in the opinion of the State Government the Council is unable to perform the duties imposed upon it by or under the Act or has repeatedly failed in its performance or has not complied with the directions issued under sub section (4) of section-9 by the State Government or has acted beyond its power or has abused its power, the State Government could by notification in its official gazette supersede the council for such period which could be specified in the notification.
- (2) Upon the publication of the notification under sub-section-1 for the supersession of the Council.
 - (a) the Chairman and all the members of the Council shall vacate their posts as such with effect from the date of supersession.
 - (b) all the power and duties to be exercised or performed by or on behalf of the Council under the provisions of the Act during the period of supersession shall be exercised or performed by Administrator duly appointed by the State Government, and
 - (c) all the properties vested in the Council during the period of supersession shall vest in the State Government.
- (3) On the expiry of the period of supersession specified in the notification issued under sub-sections(1), the State Government.
 - (a) may extend the period of supersession for such further time as it may consider necessary but this period shall not be more than one year, or,
 - (b) may reconstitute the Council as provided in section-4.
- (4) The State Government shall appoint Administrator, when the Council is not constituted under Section-4.

CHAPTER - 3
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL FUND

17. Examination Fund

- (1) There shall be established a fund to be called the Jharkhand Academic Council Fund, which shall be vested in the Council for the purpose of this Act subject to the provisions there in contained.

- (2) There shall be placed to the credit of the Jharkhand Academic Council Fund.
 - (a) all money received by or on behalf of the Council including all fees payable and levied under any provision of this Act and rules and the regulations made there under.
 - (b) all sums borrowed by the Council for the purposes of carrying out the provisions of this Act and the rules and regulation made thereunder; and
 - (c) all other sums received by the Council, not included in the preceding clauses.
- (3) All sums received under sub-section-2 shall be kept in any Nationalised Scheduled Indian Bank and shall be credited to an account to be called the account of the Jharkhand Academic Council.

18. Application of Examination Fund

- (1) The Examination Fund shall be applicable to the following objectives
 - (a) to the repayment of debts incurred by the Council for the purpose of this Act and the rules and regulations made thereunder;
 - (b) to the payment of the salaries, allowances and honorarium of the officers and the employees of the Council;
 - (c) to the payment of the travelling and other allowances to the members of the Council and different committees;
 - (d) to the payment of the District administration for conducting free, fair and peaceful examination
 - (e) to the honorarium given to the selected officers engaged in conducting the examination;
 - (f) to the payment of expenses incurred over the jobs related to examinations and performing the functions entrusted to the Council under this Act and the rules and regulations made thereunder;
 - (g) to the payment of the cost of audit of the Examination Fund;
 - (h) to the expenses of any suit or proceedings to which the Council and/or Officers of the Council are/is party;
 - (i) to the payment of expenses incurred over repair and maintenance of the building of the Council.
 - (j) to meet the office expenses as well as rent for the office building.
 - (k) to the payment of any other expenses not specified in any of the preceding clauses.

19. Audit of accounts of the Council

The account of the Council shall be subject to audit under the Bihar and Orissa Local Fund Audit Act, 1925 (B&O Act II of 1925), and for this purpose of the said Act, the Council shall be deemed to be a local authority whose accounts have been declared by the State Government to be subject to Audit under section-3 of the said Act and the Examination Fund shall be deemed to be a local fund.

Provided that expenses incurred over confidential jobs related to examination such as setting of question paper, moderating of question papers, printing of question papers or question cum answer booklets, delivery of questions papers or question cum answer booklets to its destination as well as processing of result etc. shall not be audited to maintain the secrecy about the details of confidential printers.

CHAPTER - 4 EXAMINATIONS

20. Aims and objective of examinations

The examinations to be conducted by the Council shall aim at testing the training of the candidates as useful citizens of the Indian Union, their qualifications and preparedness for absorption in different vocations or services and their suitability of the receiving University Education. The objective of the examination shall be to evaluate the attainments of the students at the end of his study in Secondary, Intermediate, Madarsa and Madhyama level.

21. Intermediate or 10+2 Examination

A student registered with the Council may be admitted to the final examination to be called Intermediate or 10+2 examination in the faculty and subject with which he has been registered and in which he has qualified for appearing at the examination, on payment of prescribed fee.

22. Secondary Examination

The Council shall conduct an examination to be called the Secondary examination at which may be allowed to appear all such candidates as shall have completed the prescribed courses of study taught at secondary stage in High Schools as well as registered with the Council.

23. Sanskrit Examination

A student registered with the Council may be allowed to appear at the examination to be called Madhyama Examination, if he shall have completed the prescribed courses of study taught in Sanskrit Vidyalaya.

24. Madarsa Examination

The Council shall conduct examinations for those students who shall be registered with the Council and shall have completed the courses of study to be taught at Madarsa.

**CHAPTER - 5
SERVICE STATUTES**

25. General Condition of Service

The service conditions of the employees of the Council will be laid down in the regulation made under this Act, which will be framed within one year for the date of enforcement of this Act.

**CHAPTER - 6
MISCELLANEOUS**

26. Power of State Government to make rules

- (1) The State Government may by notification, and after previous publication, make rules for carrying out the purposes and object of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the State Government may make rules for the following.
 - (a) Prescribing the powers to be exercised by the Chairman under sub-section-5 of the section-13;
 - (b) Prescribing the qualifications of the Secretary to the council and terms and condition on which he may be appointed;
 - (c) Prescribing the academic and vocational standards for examinations;
 - (d) Prescribing the instructions to be given to the authority responsible for preparing the text book for the preparation of text books;
 - (e) Prescribing the other examinations to be conducted by the Council and the duties to be performed by it, other than the duties specified in section-7
 - (f) Declaring officers to be officers of the Council under clause-(iii) of section-10; and
 - (g) for any other matter for which there is no clear provision or insufficient provision in this Act and for which provision is, in the opinion of the State Government, necessary for giving effect to the purposes of this Act.

27. Power of Council to make regulations

The Council may, after previous publication and subject to confirmation by the State Government, make regulations consistent with this Act and the rules made there under to provide for all or any of the following matters, namely-

- (a) the procedure to be followed in regulating the conduct of business at meetings of Council and committees constituted by it under the Act;
- (b) the conditions under which students shall be admitted to the examination of the Council;
- (c) the fees to be charged for admission to the examination of the Council;
- (d) the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct of examinations;
- (e) the powers to be exercised by the Secretary under sub-section - 5 of section-15;
- (f) the service code and conduct rules for the employees of the Council; and
- (g) all the matters which by this Act or the rules made thereunder are to be or may be provided by regulations.

28. Bar on jurisdiction of Court -

- (1) No court or authority or forum shall have jurisdiction to entertain any complain or objection relating to any orders or judgement given by Council or its officers or its committees under this Act and no injunction in respect of any action taken or to be taken by the Council or its officers or its committees, shall be entertained by any court or authorities or forum.
- (2) No prosecution, suit or other proceeding shall lie against any officers of the Council for any thing done or intended to be done in good faith under this Act.

29. Savings

Until such time as the State Government makes rules and the council makes regulations under the appropriate provision of this Act within a maximum period of one year, any rule and regulation made under the Bihar Intermediate Education Council Act, 1992 (Bihar Act 26 of 1992), Bihar School Examination Act, 1952 (Bihar Board Act 7 of 1952) adapted as Jharkhand Secondary Examination Board Act, 2000), Bihar Sanskrit Education Board Act 1981 (Bihar Act 31 of 1982) and Bihar Madarsa Education Board Act, 1981 (Bihar Act 32 of 1982) which were in force immediately before the said act ceased to be in force, shall continue to be in force subject to such modifications and adaptions, if any, as may be made there in by the competent authority and shall be deemed to be rules and regulations made under the corresponding provisions of this Act.

30. Repeal and Savings

- (1) The Bihar Intermediate Education Council Act, 1992 (Bihar Act 26 of 1992), Bihar School Examination Board Act, 1952 (Bihar Act 7 of 1952) (adapted as Jharkhand Secondary Examination Board Act, 2000), Bihar Sanskrit Education Board Act, 1981 (Bihar Act 31 of 1982) and Bihar Board of Madarsa Education Board Act, 1981 (Bihar Act 1982) are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal any thing done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said Act shall be deemed to have been done or taken in the exercise of power conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the day on which such things or action was done or taken.

By order of the Governor of Jharkhand,
Prashant Kumar,
 Secretary-cum-Legal Remembrancer,
 Law (Legislative) Department.
 Jharkhand, Ranchi.